



कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन, 17, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

दूरभाष (कार्या.): 0755-2550488, 2550412, 2570414, 2446602, फैक्स : 0755-2555162

फा.क्र. 8क/2023/4/12420

भोपाल, दिनांक 6/11/2023

प्रति,

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (समस्त)

मध्यप्रदेश।

विषय: विधानसभा चुनाव 2023-निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों द्वारा उनके Criminal Antecedents के संबंध में जानकारी का प्रकाशन किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 8क/2023/4/12156 भोपाल, दिनांक 04.11.2023

विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशानुसार राष्ट्रीय समाचार पत्र जिनकी कम से कम एक संस्करण की संख्या DAVP/Audit Bureau of circulation के मानक के अनुसार न्यूनतम 75000 या उससे अधिक हो एवं जिनका एक से अधिक राज्य में circulation हो तथा इसी प्रकार ऐसी स्थानीय जिलों में देखे जाने वाले टी.व्ही. चैनलों में प्रसारित संख्या DAVP/Audit Bureau of circulation मानक के अनुसार न्यूनतम 25000 हो, के प्रकाशन की दर की सूची जनसम्पर्क संचालनालय से प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। जिसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in से डाउनलोड किये जाने की सूचना दी गई है। इसी अनुक्रम जनसम्पर्क संचालनालय से प्राप्त पत्र दिनांक 06.11.2023 की प्रति संलग्न है। जिसके द्वारा संलग्न भेजी गई सूची के अनुक्रम में क्षेत्रीय न्यूज चैनल स्वराज एक्सप्रेस एस.एम. बी.सी. का नाम भी जोड़ा जाये।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(राजेश कुमार कौल)

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

मध्यप्रदेश

पृ. फा.क्र. 8क/2023/4/12421

भोपाल, दिनांक 6/11/2023

प्रतिलिपि :- समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल म.प्र. की ओर इस कार्यालय के पत्र का पत्र क्रमांक 8क/2023/4/12156 भोपाल, दिनांक 04.11.2023 के अनुक्रम जनसम्पर्क संचालनालय से प्राप्त सूची संलग्न प्रेषित है।

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

मध्यप्रदेश

जनसम्पर्क संचालनालय
मध्यप्रदेश शासन

क्रमांक 745/2023/जसंसं/विज्ञापन/

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर, 2023

प्रति,

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश
निर्वाचन सदन
अरेरा हिल्स, भोपाल

विषय:-- विधानसभा निर्वाचन-2023-क्षेत्रीय न्यूज चैनल स्वराज एक्सप्रेस की दर के संबंध में।

विषयान्तर्गत क्षेत्रीय न्यूज चैनल स्वराज एक्सप्रेस द्वारा अपनी डीएवीपी दर जनसम्पर्क संचालनालय को उपलब्ध करवाई गई है। न्यूज चैनल की डीएवीपी दर संबंधी पत्रक पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(जी.एस.वाधवा)

प्र.अपर संचालक (विज्ञापन)

14

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
BUREAU OF OUTREACH & COMMUNICATION
Soochna Bhawan, C.G.O. Complex, New Delhi-110003 (Website: www.davp.nic.in)

File No. CO(AV)/Misc-TV Emp/2020

Dated: 15-03-2022

To,

M/s. See Media Services Pvt. Ltd.
Plot No- 16, Sandhya Prakash Building
Malviya Nagar, Bhopal (M.P)
462003

Subject: Offering of empanelment and rates to empanelled Pvt. C&S TV channels as per policy guidelines for Pvt. C&S channels-reg.

Sir,

This is with reference to BOC's advisory no. CO(AV)/Misc-TV Emp/2020 dated 09.12.2021 on the subject cited above. On the basis of documents submitted by you and acceptance of the policy, it has been decided to offer the following rates per 10 seconds (Net Rate in Rs.) as mentioned under each time band:


TV channel	TC Code	06AM-12NOON	12NOON-05PM	05PM-11PM
Swaraj Express SMBC	TC0528	377	377	377

Terms and Conditions:

1. The empanelment with BOC will be till 14-10-2024 or till further orders whichever is earlier.
2. GST will be paid by BOC as applicable.
3. BOC reserves the right to make deduction in the bill, if the spot(s) is/are not telecast as specified in the RO.
4. Bills (Online as well as Physical) have to be submitted within 30 days of completion of campaign.
5. These rates are kept ready by BOC so that no time is lost in formalities as and when the execution of job is required. Offering of rates is not an assurance of work.
6. All the terms and conditions mentioned in the policy guidelines notified by BOC vide advisory no. CO(AV)/Misc-TV Emp/2020 dated 14-10-2021 would be applicable.

You are requested to sign and stamp one copy (by Authorized Signatory) and submit it to the undersigned by 8th April 2022.

Yours Sincerely


(Sreerag M
Deputy Director (AV
011-2436959)

To be filled in by Pvt. C&S channels

We accept above mentioned net rate, terms & conditions and policy guidelines pertaining to empanelment of Pvt. C&S channel and fixation of rates for Government advertisement issued vide BOC's Advisory no. -----.

Name of Pvt. C&S channel/Organization:

Name of the Authorized Signatory:

E-Mail ID of Authorized Signatory:

Mobile No. of Authorized Signatory: